

**ग्राम पंचायत सानन, विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन के लेखों का
लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग—एक

1 प्रस्तावना:—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच (5)–सी (15) एलएडी/2006–12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सानन, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:—

प्रधान

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्रीमती उमा गर्ग	1.4.14 से 22.1.16
2	श्रीमती बिमला देवी	23.1.16 से अद्यतन

सचिव

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री विनोद कुमार	1.4.2014 से 29.3.2016
2	श्री तुलसी राम	29.3.2016 से 3.6.2016
3	श्री सुरेश कुमार	4.6.2016 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:—

ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्रमांक	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	8 (i)	अनुदान की राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	8.26
2	9	पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.13
3	12	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.92
4	15 (ii)	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	1.78

भाग—दो

- 2 ग्राम पंचायत सानन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाये गये हैं, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा विकास खण्ड कार्यालय, कुनिहार में किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 08/14, 06/15 व 01/17 तथा व्यय हेतु माह 08/14, 09/15 व 12/16 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वाँछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:—

ग्राम पंचायत सानन के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक का अंकेक्षण ₹6000 बनता है। अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) के अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 16 दिनांक 19.4.2017 द्वारा यह राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को भेजने हेतु अनुरोध कर दिया गया था।

4 वित्तीय स्थिति:—

(क) स्व स्रोतों एवं अनुदान:—

(i) ग्राम पंचायत सानन के स्व स्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014—15	584191.96	751077	1335268.96	686923	648345.96
2015—16	648345.96	964084	1612429.96	664518	947911.96
2016—17	947911.96	857524	1805435.96	407004	1398431.96

(ख) मनरेगा:-

ग्राम पंचायत सानन के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014-15	114	117689.00	117803	117754	49
2015-16	49	192886.90	192935.90	192608.90	327
2016-17	327	54740.00	55067.00	54740.00	327

परिशिष्ट "क"

(नोट:- पंचायत के वर्ष 2013-14 से सम्बन्धित तुलन पत्र (Trial Balance) में दिनांक 31.3.14 को मनरेगा से सम्बन्धित बैंक खाते का शेष ₹3115 (जमा) Cr. दर्शाया गया था जबकि बैंक पास बुक के अनुसार दिनांक 31.3.2014 को शेष ₹114 था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ग) वाटर शैड (Water shed)/TWMP:-

ग्राम पंचायत सानन के वाटर शैड से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014-15	130811	203572	334383	187427	146956
2015-16	146956	164523	311479	229389	82090
2016-17	82090	4034	86124	115138	-29014

परिशिष्ट "क"

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना:-

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी को तैयार न करना नियमों

के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही (वित्तीय स्थिति) तथा बैंक खातों के अन्त शेष में निम्नविवरणानुसार ₹42530 (42203+327) का अन्तर पाया गया जिसका समाधान करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क्र०सं०	शीर्ष	वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.17 को शेष	दिनांक 31.3. 2017 को विभिन्न बैंकों तथा हस्तगत शेष	अन्तर (2-1)	अन्तर का कारण
1	स्व स्रोत तथा अनुदान	1398431.96	1440634.96	42203	बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई
2	मनरेगा	327	शून्य	327	—यथोपरि—
3	वाटर शेड	-29014	30406	59420	वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3. 2017 को शेष=29014 जमा:— दिनांक 9.8.17 को बैंक में जमा परन्तु रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई=60000 कम:— दिनांक 8.6.14 को बैंक द्वारा डेबिट की गई राशि जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई=580 बैंक के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को शेष=30406

Detail of opening balance as on 01.04.14 (As per Trial Balance of 2013-14)

Head	Bank	A/C No.	Amount
General (सामान्य)	JCC Bank Kunihaar	1461	542432
	SBOP Demeher Post	-	32309.11
	office Demehar JCCB	902113	7385.85
	Kunihaar TCCB Kunihaar	2041	411.00
	Cach in hand	7955	1380.00
			274.00
		Total	584191.96
मनरेगा	JCCB kunihaar	3474/4664	114
IWMP	JCCB kunihaar	603911	130811

Detail of Closing balance (As per Pass Book) as on 31.3.2017

Head	Bank	A/C No.	Amount
General (सामान्य)	JCCB Kunihaar SBOP	1461/00885	1399149.00
	Demehar	-	32309.11
	Post office Demehar	902113	7385.85
	JCCB Kunihaar	2041	411.00
	JCCB Kunihaar	7955	1380.00
	Cach in hand	-	Nil
	Total		1440634.96
मनरेगा	JCCB Kunihaar	3474/101034001004664	Nil
IWMP	JCCB Kunihaar	003911	30406

नोट:— दिनांक 31.3.2017 को बैंकों में अन्तिम शेष पंचायत सचिव द्वारा प्रमाणित

6 बैंक तथा डाक घर खातों में दिनांक 31.3.2017 को जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना:—

कई बार आग्रह करने के पश्चात भी निम्नलिखित बैंकों/डाक घर में दिनांक 31.3.2017 को उनमें जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र बैंकों से प्राप्त करके अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। इस कारण इन खातों में दिनांक 31.3.2017 को दर्शाए गए शेषों के सही होने सम्बन्धी पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ—2 अपेक्षित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

बैंक का नाम	खाता संख्या	31.3.2017 को जमा राशि
SBOP Demehr	-----	32309.11
Post Office Demehr	902113	7385.85
JCCB Kunihaar	2041	411
JCCB Kunihaar	7955	1380

7 रोकड़ बहियों सम्बन्धित अनियमितताओं बारे:—

(i) रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 1 से 50 में वर्णित आय के स्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम-3 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता ख जाना जाएगा, परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक पंचायत ने अपनी आय

के स्रोतों की रोकड़ बही में कुछ अनुदानों की आय को भी सम्मिलित किया गया था व शेष अनुदानों हेतु दो रोकड़ बहियाँ अलग से लगाई गई थी। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) रोकड़ बहियों के रख रखाव बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था। कई माहों के अन्त में नियमानुसार प्रधान द्वारा नियमित रूप से प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था। रोकड़ बही में कई प्रविष्टियाँ का सत्यापन नहीं किया गया था तथा कटिंग्स की गई थी तथा कई वाउचर्स पर प्रस्ताव संख्या नहीं लिखी गई थी। रोकड़ बही में रसीदों की प्रविष्टि क्रमवार नहीं की जा रही थी। रोकड़ बहियों के आरम्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनमें कुल पृष्ठों की संख्या बारे भी सत्यापन नहीं किया गया था। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1, 2 व 3) तथा 10 (3) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 अनुदान:-

(i) निर्धारित अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित राशियों का उपयोग न करना:-

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी (परिशिष्ट "ख") के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹825629 शेष दर्शाई गई थी। इससे यह प्रतीत होता है कि अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31.3.2017 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उनसे सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करना:-

खण्ड विकास कार्यालय द्वारा समय-2 पर ग्राम पंचायत को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु अनुदान जारी किये जाते हैं। निश्चित रूप से अनुदान की यह राशियाँ जारी करते समय खण्ड विकास कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश

जारी किये जाते होंगे जिनमें जारी की गई राशियों उनके शीर्षों/निर्माण कार्यों आदि का स्पष्ट विवरण दर्ज होता होगा। परन्तु यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में खण्ड विकास कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय आदेशों/पत्रों का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान मांगने के उपरान्त भी यह पत्र/दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके कारण विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु जारी की गई राशियों, उनके शीर्ष तथा निर्माण कार्य जिनके कार्यान्वयन हेतु वे जारी की गई थी के सही होने की पुष्टि किया जाना सम्भव हो सका। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख अनुदान रजिस्टर आदि जिसमें विभिन्न अनुदानों के शेषों तथा प्राप्तियों/भुगतानों का शीर्षवार विवरण दर्ज हो अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत भी नहीं किया गया जिस कारण विभिन्न अनुदानों के दिनांक 31.3.2017 को शेष बारे स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अभिलेख का रख रखाव तथा नियमित रूप से Update किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व ₹0.13 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:—

(i) ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नानुसार ₹13125 राजस्व (गृहकर) की कम वसूली की थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त राशि की वसूली करके अनुपालना से आगामी पर अवगत करवाया जाए।

वित्त वर्ष	परिवारों की सं०	गृहकर का निर्धारित रेट (वार्षिक)	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान बकाया	कुल योग	वर्ष के दौरान प्राप्ति	बकाया गृहकर
2014—15	301	15		4515	4515	60	4455
2015—16	301	15	4455	4515	8970	340	8630
2016—17	301	15	8630	4515	13145	20	13125

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा न तो दिनांक 1.4.2014 को बकाया गृह कर की राशि से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाई गई तथा न ही हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार फार्म 10 पर Updated मांग एवं प्राप्ति अभिलेख प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त गृहकर (₹15 वार्षिक) के निर्धारण से सम्बन्धित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करवाए गए। जिस कारण दिनांक 1.4.14 को गृहकर की वसूली हेतु बकाया राशि तथा वसूली रेट के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त वांछित अभिलेख Update करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जायें।

10 मोबाईल टावर से सम्बन्धित आय की वसूली न करना:—

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2014–15, 2015–16 तथा 2016–17 में सम्बन्धित कम्पनी से मोबाईल टावर का किराया तथा अन्य शुल्क प्राप्त नहीं किया था। मोबाईल टावर के किराए निर्धारण से सम्बन्धित कोई दस्तावेज भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 सम्बन्धित कम्पनी से अब तक के बकाया किराए की वसूली करके उपरोक्त अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाए।

11 शराब उपकर की वसूली न करना:—

ग्राम पंचायत को वर्ष 2016–17 से सम्बन्धित शराब उपकर की राशि की आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्ति नहीं हुई थी। अतः शराब उपकर की नियमानुसार देय राशि सम्बन्धित विभाग से वसूल न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा राशि की वसूली हेतु मामला सम्बन्धित विभाग से उठाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाए एवं अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 निर्माण कार्यों सम्बन्धी अनियमितताएं:—

(i) निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतियाँ, प्राक्कलन तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ न दर्शाए जाने बारे:—

कई बार आग्रह के पश्चात भी चयनित मासों से सम्बन्धित निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्राक्कलन (estimate) उनकी प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतियाँ आकलन एवं सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं (measurement books) में प्रविष्टियाँ नहीं दर्शाई गई।

रोकड़ बही	माह	पृ०सं०	निर्माण कार्य का नाम
मनरेगा	09/15	67	निर्माण टैंक राम कृष्ण L/D श्री जीत राम टैंक निर्माण तथा L/D बद्री दत्त निर्माण टैंक कृष्ण चन्द

उपरोक्त के अतिरिक्त परिशिष्ट "ग" में क्रम संख्या 1 से 4 पर दर्शाए गए निर्माण कार्यों की सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ/आंकलन तथा क्रम संख्या 1 से 10 पर दर्शाए गए निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/वित्तीय स्वीकृतियाँ तथा तकनीकी स्वीकृतियाँ नहीं दर्शाई गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 उपरोक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में हिमाचल प्रदेश

पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 तथा 101 में दिए गए निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) इसके अतिरिक्त माप पुस्तिका में सामग्री उपयोग विवरणी (material consumption statement) नहीं बनाई जा रही थी। भविष्य में माप पुस्तिका में सामग्री उपयोग विवरणी (material consumption statement) बनानी सुनिश्चित की जाए ताकि निर्माण कार्यों में उपयोग की गई निर्माण सामग्रियों के नियमानुसार पूर्ण तथा सही उपयोग की पुष्टि की जा सके।

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.92 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नानुसार ग्राम पंचायत द्वारा ₹192151 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ०सं०	राशि	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य (स्वस्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	08 / 14	64	11700	रेत, पत्थर किराया आदि
			33800	यथोपरि
			42580	स्टील
	09 / 15	66	2000	यू०पी०एस०
		93	10600	रेत, पत्थर, किराया आदि
		94	2880	ढुलान
	12 / 16	16	7200	बजरी
			4600	रेता
			3000	क्रोकरी
			3220	रेत
		17	4382	रेत, बजरी
			2200	सीमेन्ट, रेत, बजरी का
				ढुलान

			7400	रेत, बजरी का ढुलान
			13864	बजरी
IWMP	08 / 14	50	17100	बजरी, रेत आदि
	09 / 15	57	2329	ढुलान
			23296	स्टील
		कुल योग	192151	

14 भुगतानों के एवज में प्राप्त पावतियाँ प्रस्तुत न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों/व्यय की एवज में पावती प्राप्त की जानी अपेक्षित है। यह प्रतीत होता है कि इन निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से नहीं किया जा रहा है क्योंकि व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि क्रय किये गए मेटेरियल तथा अन्य भुगतानों हेतु सम्बन्धित फर्मों/कार्यालय से भुगतान की एवज में पावतियाँ प्राप्त नहीं की गई थी। इसके अलावा कुछ मस्टररोल्स में सभी तथा कुछ में एक या दो श्रमिकों के हस्ताक्षर भी नहीं पाए गए। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार हैं। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित पावतियाँ अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में सभी भुगतानों/व्यय के एवज में पावतियाँ ली जानी सुनिश्चित की जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ०सं०	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य (स्व स्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	08 / 14	64	11700	रेत, पत्थर, किराया आदि
			33800	—यथोपरि—
	12 / 16	16	38000	BDO, कुनिहार को राशि वापिस। रसीद नहीं दर्शाई गई
	09 / 15	93	10600	रेत, पत्थर, किराया आदि
	12 / 16	16	7200	बजरी
			4600	रेता
			3220	रेत
		17	4382	रेत, बजरी
			13864	बजरी
मनरेगा	09 / 15	67	11340	मस्ट्रोल संख्या 1069

			18144	मस्ट्रोल संख्या 1070
			11340	मस्ट्रोल संख्या 1078
			11340	मस्ट्रोल संख्या 1248
			11340	मस्ट्रोल संख्या 1249
IWMP	08 / 14	49	5131	सीमेन्ट
		50	17100	बजरी, रेत आदि
	09 / 15	57	23296	स्टील
		57	18330	मस्ट्रोल संख्या मस्टर रोल पर लिखी नहीं गई थी। मस्टर रोल में ₹3840 की पावती नहीं थी।
		57	2329	वाउचर में भुगतान ₹2329 दर्शाया गया था तथा सम्बन्धित व्यक्ति (श्री केशव राम) द्वारा रसीद (पत्थर क्रय) ₹17500 की दी गई थी। स्थिति स्पष्ट की जाए।

15 स्टोर/स्टॉक:-

(i) प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) स्थाई एवं अस्थायी भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना:-

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद ग्राम पंचायत निम्न तालिकानुसार क्रय की गई विभिन्न स्थाई एवं अस्थायी भण्डार की प्राप्ति तथा जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में नहीं दर्शाई गई। जिस कारण निम्नलिखित क्रय की गई वस्तुओं की खपत की जाँच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ०सं०	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य (स्व स्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	08 / 14	64	11700	रेत, पत्थर, किराया आदि
			33800	—यथोपरि—
			42580	स्टील
		66	2000	यू०पी०एस०
	09 / 15	93	10600	रेत, पत्थर, किराया आदि
		93	560	टैंक का ढक्कन
		94	6480	सीमेन्ट
	12 / 16	16	3000	क्रोकरी
			7400	रेत, बजरी का ढुलान
			13864	बजरी
IWMP	08 / 14	49	5131	सीमेन्ट
		50	17100	बजरी, रेत आदि
	09 / 15	57	23296	स्टील
		कुल योग	177511	

16 विविध अनियमितताएं:—

(i) रसीद बुक से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे:—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा काउंट सर्टिफिकेट नहीं किया जा रहा था। रसीद बुक रजिस्टर (पृष्ठ संख्या 4 तथा 5) के स्तम्भों को पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा था तथा रजिस्टर में रसीद बुकों के शेषों से सम्बन्धित स्थिति भी नहीं दर्शाई जा रही थी। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इनके बारे अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

(ii) बिल पारित करने सम्बन्धी निर्देशों का पालन न करना:—

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे अधिकतम भुगतानों को केवल प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया गया था जोकि अनियमित है। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमें लिखते हुए संयुक्त रूप हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) बजट आंकलन (Budget estimate) निर्धारित समय अवधि में पारित न करवाने बारे:—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 37 की में दिये गये निर्देशों का अनुसरण पूर्णतया नहीं किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2016-17 से सम्बन्धित बजट आंकलन निर्धारित समय (28 फरवरी से पूर्व) के भीतर पारित नहीं करवाया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बजट आंकलन निर्देशानुसार निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार/पारित करवाया जाना तथा विहित फार्म "11" पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) विहित रजिस्ट्रों के रख रखाव बारे:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य रजिस्टर, अनुदान रजिस्टर, अस्थाई अग्रिम रजिस्टर, स्टोर रजिस्टर, खाता बही आदि आग्रह करने के उपरान्त भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत होता है कि इनका नियमानुसार रख रखाव/Update नहीं किया जा रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में उपरोक्त नियमानुसार/निर्देशानुसार सभी रजिस्ट्रों का रख रखाव तथा नियमित रूप से उनका update किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(v) मस्टर रोल्स सम्बन्धी अनियमितताओं बारे:—

(i) मस्टर रोल्स रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि इस रजिस्टर को नियमित रूप से update नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मनरेगा से सम्बन्धित मस्टर रोल्स की प्रविष्टियाँ मस्टर रोल्स जारी (issue) रजिस्टर में नहीं की गई थी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा मस्टर रोल रजिस्टर का रख रखाव तथा पूर्ण करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) यह भी पाया गया कि कई प्रकरणों में निर्माण समिति/Village monitoring committee (vmc) द्वारा निर्माण कार्यों का सत्यापन नहीं किया गया था तथा कई मस्टर रोल्स पर आवश्यक सम्पूर्ण विवरण भी नहीं भरा गया था। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति में न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(vi) सावधि निवेश:-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचायत को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। यह प्रतीत होता हो कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिये गये निर्देशों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि ग्राम पंचायत को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।

(vii) ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान बारे:-

ग्राम पंचायत के मानदेय सम्बन्धी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 62 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, मेम्बर्स, चौकीदार आदि को मासिक मानदेय का भुगतान किया जा रहा है परन्तु पदाधिकारियों/कर्मचारियों को देय मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बन्धित कोई भी दस्तोवज अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः मानदेय की सही राशि की पुष्टि हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति आगामी अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(viii) अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण आवश्यक पड़ताल सम्भव नहीं हो सकी। अतः आगामी अंकेक्षण पर निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ०सं०	राशि	विवरण
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	08/14	65	1000	भुगतान वाउचर नहीं दर्शाया गया
	08/14	—	—	माह 08/14 में प्राप्त आय की सम्बन्धित पास बुक में जमा नहीं

			दर्शाई गई
09 / 15	94	10000	राशि के हस्तांतरण से सम्बन्धित अभिलेख नहीं दर्शाया गया
06 / 15	85	35000	राशि की प्राप्ति से सम्बन्धित रसीद नहीं दर्शाई गई

17 लघु आपत्ति विवरणिका:— अलग से जारी नहीं की गई।

18 निष्कर्ष:— खातों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं०-0177 2620881

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(iv) 19/2017-खण्ड-1 -7155-7158 दिनांक 08.12.2017 शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुनिहार तहसील अर्की, जिला सोलन, हि0प्र0
- पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत सानन विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / —
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं०-0177 2620881